कार्यालय संयुक्त संचालक,नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल,मध्य प्रदेश

क्रमांक 728 /नग्रानि/जिका/2007 भोपाल,दिनांक 5/4 2007

प्रति,

अध्यक्ष,
कात्यान शिक्षण समिति,
कार्यालय तृप्ति हास्पिटल गुफा मंदिर रोड़,
लालघाटी चौराहा, भोपाल

विषय :- संस्था की ग्राम भौंरी के भूमि खसरा क्रमांक 38, 48/2/1 एवं 38, 48/2/2 रकबा 10.05 एकड़ पर शैक्षणिक संस्था कालेज की विकास अनुज्ञा का स्थल पर चिन्हांकन बाबत ।(कात्यान शिक्षण समिति)

सन्दर्भ :- आपका पत्र भोपाल दिनांक 14.07.2006.

उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचित है कि ग्राम भौंरी के भूमि खसरा क्रमांक 38, 48/2/1 एवं 38, 48/2/2 रकबा 10.05 एकड़ भूमि के इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1574 दिनांक 17.05.2006 द्वारा पर शैक्षणिक संस्था कालेज की विकास अनुज्ञा का स्थल पर का स्थल पर सत्यापन पटवारी द्वारा आपकी उपस्थिति बतलाई गई संस्था की भूमि सीमा के अनुसार निम्न शर्तो के साथ किया जाता है ।

1. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1574 दिनांक 17.05.2006 में उल्लेखित प्रदत्त विकास अनुज्ञा समस्त शर्तो के साथ यथावत रहेगा
2. खसरा भूमि की बाहय सीमा व अन्य प्रकार का विवाद होने पर प्रदत्त विकास अनुज्ञा इस सत्यापन मानचित्र सहित निरस्त माना जावेगा ।
3. विकास अनुज्ञा सत्यापन के उपरांत नगर निगम,भोपाल से निर्माण कार्य के लिए नियमानुसार अनुमतियॉं प्राप्त की जाना आवश्यक होगा ।
4. शासन आदेश क्रमांक 186/32/98 दिनांक 23.1.1998 के अनुपालन में 15 वृक्ष प्रति हेक्टेयर के मान अनुसार भूखण्ड के वृक्षारोपण के अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा ।
5. प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गो की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा । अतः मार्गो को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरूद्व किया जाना मान्य नहीं होगा ।
6. स्थल पर विकास कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र इस कार्यालय से प्राप्त करने के पश्चात ही किसी प्रकार का भवन निर्माण कार्य मान्य होगा ।
7. संस्था को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम,1984 के नियम 31 के प्रावधानों का पालन करना होगा तथा अपेंडिक्स 'ई' 'एफ' तथा 'जी' संबंधी आवश्यक कार्यवाही समय सीमा में करना अनिवार्य होगा ।
8. एच.टी. लाईन,इलेक्ट्रिक लाईन के नीचे स्थित भूखण्ड मान्य नहीं होंगे इन पर भवन अनुज्ञा न दी जावे ।
9. स्थल पर विद्यमान नाले के किनारे से 3.0 मीटर की चौड़ाई में हरित क्षेत्र खुला छोड़ना आवश्यक होगा ।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर इस भूमि पर प्रदत्त विकास अनुज्ञा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत रिवोक कर ली जावेगी ।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल

पृ.क्रमांक /नग्रानि/एल.पी /2007 भोपाल,दिनांक /2007

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी तहसील हूजूर जिला भोपाल को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी,कालोनी सेल एवं एकल खिड़की प्रणाली नगर पालिक निगम भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत, भौंरी तहसील हूजूर, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4.

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल

Original.